

**प्रेस नोट**

**थाना- रानी की सराय**

**दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार**

**पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-**

दिनांक- 27.03.2024 को आवेदिका/पीडिता उम्र करीब 15 वर्ष ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी शैलेश राजभर पुत्र विनोद राजभर नि0 काजी भीटी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष द्वारा गलत सम्बन्ध बनाने की नियत से घर में घुस कर आवेदिका के साथ गलत सम्बन्ध बनाने का प्रयास करना तथा शोर गुल करने पर आवेदिका का भाई मौके पर आया तो विपक्षी द्वारा धक्का देकर शिकायत करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी दिया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 81/2024 धारा 452/354क/504/506/352 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम शैलेश राजभर पुत्र विनोद राजभर नि0काजीभीटी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 354क भादवि का लोप किया गया तथा धारा 376 भादवि की बढोत्तरी किया गया। गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 29.03.2024 को व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शैलेश राजभर पुत्र विनोद राजभर नि0काजीभीटी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को सेमरहा अण्डर पास के पास समय 13.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया। पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0स0 81/2024 धारा 452/376/504/506/352 भादवि व 3/4पाक्सो एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार अभियुक्त -- शैलेश राजभर पुत्र विनोद राजभर नि0काजीभीटी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

**थाना- मेंहनगर**

**शातिर अभियुक्त अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार**

**गिरफ्तारी का विवरण-**

दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 आदिल हुसैन मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान सीएचसी मेंहनगर के पास से अभि0 विकास विश्वकर्मा पुत्र लालमनी विश्वकर्मा निवासी वार्ड नं. 8 जवाहर नगर कस्बा मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय 11.00 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं 109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-विकास विश्वकर्मा पुत्र लालमनी विश्वकर्मा निवासी वार्ड नं. 8 जवाहर नगर कस्बा मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ बरामदगी का विवरण:-

1- एक अदद तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1- मु.अ.सं 109/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास –

- 1.मु.अ.सं. 59/2022 धारा 392/411 भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर
  - 2.मु.अ.सं. 81/2022 धारा 392/411/420 भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर
  - 3.मु.अ.सं. 87/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर
  - 4.मु.अ.सं. 44/2022 धारा 392/411 भादवि थाना चांदा जनपद सुल्तानपुर
  - 5.मु.अ.सं. 85/2022 धारा 323/392/411 भादवि थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर
  - 6.मु.अ.सं. 109/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़
- गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 आदिल हुसैन मय हमराह का0 सत्यम सिंह थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

**थाना अतरौलिया**  
**शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार**

**पूर्व का विवरण –**

दिनांक 24.01.2024 को वादिनी / पीडिता ने थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी रोहित उर्फ हसीन खां पुत्र कल्ली खां निवासी ग्राम गहलुईया थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत उ.प्र. द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर वर्ष 2017 से शारीरिक सम्बन्ध बना रहा था वादिनी ने जब शादी करने के लिये कहा तो शादी करने से इंकार कर दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/24 धारा 376,419 भादवि बनाम 1 रोहित उर्फ हसीन खां पुत्र कल्ली खां निवासी ग्राम गहलुईया थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत उ.प्र. के पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना उक्त अभियोग में धारा 417 भादवि व धारा 3 /4 पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

**गिरफ्तारी का विवरण:-**

दिनांक 29.03.2024 को उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबन्धित अभियुक्त रोहित उर्फ हसीन खां उपरोक्त को गनपतपुर अंडरपास के पास से समय 11.05 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

**पंजीकृत अभियोग –**

1- मु0अ0सं0 28/24 धारा 376,419,417 भादवि व धारा 3 /4 पाक्सो एक्ट थाना अतरौलिया आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त –**

1-रोहित उर्फ हसीन खां पुत्र कल्ली खां उर्फ कल्लू खां निवासी ग्राम गहलुईया थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत उ.प्र.

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. उ0नि0 पवन कुमार शुक्ला थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

2. का0 प्रवीण कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

**थाना- जीयनपुर**

**फोन पे एप्प के माध्यम से मिसमैच मोबाइल नम्बर पर ट्रांसफर हुए 50 हजार रुपये को वापस कराया गया**

**पूर्व की घटना/इतिहास–**

आवेदक योगेन्द्र पासवान पुत्र स्व0 श्रीराम पासवान निवासी अमलोनी थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा दिनांक 14.01.2024 को फोन पे एप्प के माध्यम से मो0न0 856480xxxx पर 50,000/- रुपये ट्रांजेक्शन किया जा रहा था भूलवश मोबाइल नम्बर मिसमैच हो जाने के कारण मोबाइल नम्बर 856580xxxx पर 50,000/- रुपये ट्रांजेक्शन हो गया तत्पश्चात आवेदक थाना जीयनपुर आजमगढ़ पर उपस्थित आया तथा अपनी समस्या के सम्बन्ध में शिकायती प्रा0पत्र दिया जिसकी जाँच क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया तथा आवेदक से साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर काल कराकर शिकायत दर्ज करायी गयी।

➡दिनांक 14.01.2024 को क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा आवेदक योगेन्द्र पासवान पुत्र स्व0 श्रीराम पासवान निवासी अमलोनी थाना जीयनपुर आजमगढ़ द्वारा फोन पे एप्प के माध्यम से भूलवश/मिसमैच मोबाइल नम्बर 8565807580 पर 50,000/- रुपये ट्रांजेक्शन हुये रुपये को आवेदक के खाते में वापस कराया गया।

**प्रेस-विज्ञप्ति**

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 05 वर्ष कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**थाना जीयनपुर: गैर इरादतन हत्या के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 02 हजार रुपये जुर्माना**

➡ दिनांक-24.06.2013 को वादी मुकदमा राजेन्द्र सिंह पुत्र रामअवतार सिंह निवासी बैरीडाड थाना कोतवाली जीयनपुर आजमगढ़ के लिखित तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 307/2013 धारा 147/304 भादवि बनाम 1. राजेन्द्र सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी बैरीडाड थाना जीयनपुर आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 29.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राजेन्द्र सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी बैरीडाड थाना जीयनपुर आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास एवं 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।